न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर

पीठासीन अधिकारी, डॉ लक्ष्मी नारायण बुनकर R.A.S

राजस्व वाद पत्र संख्या – 05/2019

वादी :– बनाम प्रतिवादीगण :–

अमराराम पुत्र मिसाराम जाति माली निवासी साथीन चौराहा जोधपुर जरिये आम मुख्तियार सुखाराम पुत्र घमण्डाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम जवासिया तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

भूमिधारी जरीये तहसीलदार पीपाड़ शहर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :–
श्री मन्सुर अली छीपा वादी की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

निर्णय

दिनांक : 30.08.2018

वादीगण ने एक वाद पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम जवासिया पटवारी क्षैत्र रियां तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 206/6 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा यानि 0.5825 हैक्टयर कृषि भूमि स्थित है जो राजस्व रेकर्ड के खाता सं. नया 327 व पुराना 21 पर सुखाराम के नाम से इन्द्राजसुदा है उक्त आराजी को आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा । वादग्रस्त आराजी पर सुखाराम खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज काश्त है जिसमें किसी अन्य का कोई हक व हिस्सा नही है व सुखाराम ने वादग्रस्त आराजी को सर्व प्रकार से बेचान हस्तान्तरण व समस्त विधिक कार्यवाहियां करने के लिए मुझ वादी को अपना आममुख्तियार नियुक्त कर रखा है व एक आम मुख्तियार दिनांक 31.12.2018 को मुझ वादी के पक्ष में निष्पादित कर रखा है जो नोटेरी पब्लिक विजय प्रकाश ओझा के यहां नोटेरीसुदा है जो आममुख्तियारनामा आज दिनांक तक प्रभाव में है व निरस्त किया हुआ नहीं है तथा अधिकारदाता सुखाराम जीवित है व मुझे सुखाराम की और से उसके आम मुख्तियार की हैसियत से उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार प्राप्त है । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 206/6 की राजस्व रेकर्ड में तरमीम संलग्न

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

नजरी नक्शा सं. 2 में Y स्थान पर कर दी गई जो कि गलत है तथा सही
तरमीम जहां पर सुखाराम काबिज काश्त है वह संलग्न नजरी नक्शा सं. 1 में X
स्थान पर दर्शित है इसलिए मुझ वादी द्वारा उक्त वाद पत्र गलत तरमीम को
निरस्त घोषित करने व सही स्थान पर तरमीम को दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में
अमल दरामद करने के लिए उक्त वाद पत्र श्रीमान न्यायालय हाजा के समक्ष
सुखाराम की ओर से प्रस्तुत किया गया है । वादी ने राजस्व रेकर्ड में अशुद्ध
तरमीम को सही करने हेतु प्रतिवादी के समक्ष दिनांक 03.01.2019 को प्रार्थना
पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्रतिवादी ने सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर
न्यायालय से आदेश करवाये जाने की सलाह दी व अपने आप को उक्त कार्य
लिए असक्षम बताया । वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा सं. 1 व 2 वाद
पत्र का भाग है जिसे अभिन्न अंग शुमार मान पढ़ा जावे । संलग्न नजरी नक्शा
सं. 1 में सही तरमीम जो राजस्व रेकर्ड में की जानी है को X स्थान पर दर्शित
करते हुए अंकित किया गया है व त्रुटिपूर्ण तरमीम को नजरी नक्शा सं. 2 में Y
स्थान पर दर्शित करते हुए अंकित किया गया है । वादी के पास श्रीमान
न्यायालय के समक्ष उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प
नही है । वादी का वादकारण प्रतिवादी द्वारा राजस्व रेकर्ड में शुद्धि करने से
दिनांक 03.01.2019 को मना करने से उत्पन्न हुआ जो निरन्तर रूप से उत्पन्न
हो रहा है । इस्तदुआ वादीगण इस प्रकार से है कि :– ग्राम जवासिया पटवार
क्षैत्र रियां में स्थित खसरा नम्बर 206/6 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा यानि 0.
5825 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय कृषि भूमि को संलग्न नजरी नक्शे सं. 1 में
दर्शित X स्थान पर तरमीम किया जावें व संलग्न नजरी नक्शा सं. 2 में दर्शित
Y मार्क स्थान पर खसरा नम्बर 206/6 की तरमीम को निरस्त घोषित किया
जावें। अन्य अनुतोष जो हित वादी के हक में अता फरमाया जावें । अतः वाद
पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय हाजा से निवेदन है कि वाद पत्र को
स्वीकार फरमाया जाकर संलग्न नजरी नक्शा सं. 1 अनुसार खसरा नम्बर
206/6 की तरमीम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज फरमायी जावें ।

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किये गये जिस पर प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रस्तुत किया है कि ग्राम जवासियां के खसरा नम्बर 206/6 की पटवारी व भू. अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित तरमीम दुरूस्त की जाती है तो कोई आपत्ति नही है ।

हमने बहस पक्षकारान सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया, जवाब तहसीलदार पीपाड़ शहर के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि ग्राम जवासिया के खसरा नम्बर 206/6 मौके अनुसार प्रार्थी का कब्जा काश्त अनुसार संलग्न नजरी नक्शे अनुसार तरमीम दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें । जवाब तहसीलदार पीपाड़ शहर को निर्णय का भाग समझा जावें ।

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 30.08.2019 को कोर्ट में लिखवाया जाकर मजमेआम सुनाया गया । फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

Scanned by CamScanner